

>

Title: Introduction of the HIV/AIDS Bill, 2012.

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत में एचआईवी महामारी का निवारण, नियंत्रण और प्रबंधन करने; एचआईवी/एड्स से ग्रस्त या प्रभावित व्यक्तियों के मानवाधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन करने; ऐसे अधिकारों का प्रवर्तन करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य, संघ राज्यक्षेत्र और जिला स्तर पर प्राधिकरणों की स्थापना करने तथा एचआईवी/एड्स के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए इसके निवारण, इसके प्रति जागरूकता, देखभाल, संभाल उपचार कार्यक्रमों का प्रवर्तन करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN : The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for prevention, control and management of HIV epidemic in India; protection and promotion of human rights of persons living or affected by HIV/AIDS; for establishment of Authorities at the National, State, Union territory and district level to promote such rights and to promote prevention, awareness, care, support, treatment programmes to control the spread of HIV/AIDS and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूँ।